

कार्यालय जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक / / जि0का0अधि0/आदर्शआ0आं0के0/2022-23

दिनांक ११ जून 2022

आदेश

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी-272/बा0वि0परि0/22-23 दिनांक 03 जून 2022 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या 1117/58-1-2022-542099/52/2021 दिनांक 10 मई 2022 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने के लिए छः माह की समयावधि दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 30.09.2022 एवं द्वितीय छमाही दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक निर्धारित की गयी है। शासनादेश संख्या 3937/58-1-2021 दिनांक 06.12.2021 के द्वारा कुपोषण की अधिकता वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर जनपद में मा0 जनप्रतिनिधि गणों यथा मा0 सांसद/मा0 विधायक/मा0महापौर/मा0 अध्यक्ष/जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने के निर्देश के क्रम में विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के सम्मुख अंकित जनपद के अधिकारियों को गोद दिया जाता है। समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न सूची के अनुसार अपने नाम के सम्मुख आवंटित 03-03 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करना सुनिश्चित करें, योजना के उद्देश्य, पर्यवेक्षण बिन्दु निम्नवत् है:-

योजना के उद्देश्य

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को कुपोषण मुक्त करना।
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा (ई0सी0सी0ई0) के स्तर में सुधार।
3. आंगनबाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण।

पर्यवेक्षक बिन्दु

"आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" हेतु गोद लेने वाले मा0जन-प्रतिनिधि गण तथा जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सभी गोद लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों का स्थलीय भ्रमण करते हुए निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर पर्यवेक्षण किया जायेगा।

1. पोषक विषयक:-

- आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित खुलने एवं बन्द होने की स्थिति
- केन्द्र पर लाभार्थियों के सर्वे के अनुसार पोषण ट्रेकर ऐप पर शत प्रतिशत पंजीकरण की स्थिति।
- प्रत्येक लाभार्थी वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के वितरण की स्थिति।
- पोषण ट्रेकर ऐप पर निम्न मानकों पर नियमित फीडिंग।
- अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण।
- वृद्धि निगरानी।
- गृह भ्रमण।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर समुदाय आधारित गतिविधियां यथा गोदभराई, अन्नप्रशान, सुपोषण दिवस, वजन दिवस, वॉश दिवस के नियमित आयोजन की स्थिति।
- बच्चों के पोषण श्रेणी में सुधार (सैम से मैम तथा मैम से सामान्य श्रेणी) की स्थिति।

2:-स्कूल पूर्व शिक्षा विषयक:-

- प्री स्कूल किट की उपलब्धता एवं रख रखाव।
- ई0सी0सी0ई0सामग्री की उपलब्धता एवं रख रखाव।
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ई0सी0सी0ई0 विषयक निर्धारित साप्ताहिक गतिविधियों एवं विभाग द्वारा विकसित यू-ट्यूब चैनल पर उपलब्धता वीडियो अनुसार गतिविधियों का आयोजन।
- बच्चों से वार्तालाप कर रंग, आकार, फल सब्जियों आदि की पहचान जैसे अनौपचारिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

- 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावक तथा ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री (पीटीएम) के बैठक आयोजन की स्थिति।
- बच्चों के अभिभावकों से ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन तथा आयोजित ई0सी0सी0ई0गतिविधियों पर फीडबैक।

3-आधारभूत सुविधाओं विषयक:-

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
- बाल-मैत्री शौचालय की उपलब्धता।
- ऑगनबाड़ी केन्द्र का विद्युतीकरण।
- पोषण वाटिका।
- ऑगनबाड़ी केन्द्र की रंगाई व पुताई।
- ऑगनबाड़ी केन्द्र के भवन की भौतिक स्थिति।
- ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइस की उपलब्धता।
- स्मार्ट फोन की उपलब्धता।
- ऑगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी-मेज व अन्य आवश्यक सामग्री।

4-आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने की समयावधि

- गोद लिये गये ऑगनबाड़ी केन्द्रों को "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने के लिये छः माह की समयावधि निर्धारित है।

अतः शासनादेश संख्या 3937/58-1-2021 दिनांक 06.12.2021 एवं पर्यवेक्षण प्रारूप संलग्न करते हुए समस्त नामित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वह अपने नाम के सम्मुख अंकित आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रत्येक माह भ्रमण करते हुए पर्यवेक्षण प्रारूप जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

- संलग्नक-
1. आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये जाने हेतु नामित अधिकारियों की सूची।
 2. शासनादेश की छायाप्रति।
 3. पर्यवेक्षण प्रारूप।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी

पृष्ठांकन संख्या / 558 / तददिनांक-

- प्रतिलिपि-
1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
 2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
 3. मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर-खीरी।
 4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, खीरी को इस निर्देश के साथ कि सभी नामित अधिकारियों से ससमय पर्यवेक्षण आख्या प्राप्त कर सूचना संकलित करना तथा प्रतिमाह बैठक आयोजित कर समस्त अद्यतन सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
 5. समस्त नामित अधिकारी जनपद लखीमपुर-खीरी।
 6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त नामित अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें एवं अपेक्षित सहयोग देना सुनिश्चित करें।
 7. कार्यालय प्रति।

17.06.21
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।

जनपद/तहसील/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा अंगनवाड़ी केंद्र को शीघ्र लेकन आदर्श अंगनवाड़ी केंद्र बनाने हेतु सूचन											
क्र.सं.	जिला स्तरीय अधिकारी का पद नाम व शीट नं०	विकास क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	शौच का नाम	अंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं संभावित स्थल का पता	अंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम	अंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पता	अंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नं०	सब विकास क्षेत्र/अंगनवाड़ी का नाम व पंचायत नं०	शेष शेष	दिनांक
1	जिलाधिकारी 9454417558	पूल्बहेड	खमार खेड़ा	खमारखेड़ा	प्राथमिक विद्यालय खमारखेड़ा 1	श्रीमती गीता देविका	8990630669	श्रीमती पूजा विपारी	1	5	
				खमारखेड़ा	प्राथमिक विद्यालय खेड़ा-1	श्रीमती ममता राजपेठी	9721624295		1	7	
				खमारखेड़ा	विभागीय भवन खेड़ा-2	श्रीमती सुनयती	9170135956		1	1	
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी 9412600299	पूल्बहेड	खेतीसा	खेतीसा	विभागीय भवन खेतीसा 1	श्रीमती सुमता यादव	8307286254	श्रीमती पूजा विपारी	1	1	
			खेतीसा	खेतीसा	विभागीय भवन खेतीसा 2	श्रीमती मन्मदेवी	7233099503		1	1	
			सिकन्दरपुर	सिकन्दरपुर	प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर	श्रीमती लक्ष्मी देवी	9938184308		1	4	
3	जिला विकास अधिकारी 9454465383	लखीमपुर	महम्मदाबाद	महम्मदाबाद	विभागीय भवन महम्मदाबाद-1	कनकलता	9554659447	सुषी अंजली गुप्ता	1	2	
			महम्मदाबाद	महम्मदाबाद	पंचायत भवन महम्मदाबाद-2	बुजेश	9639561919		2	3	
			महम्मदाबाद	महम्मदाबाद	प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर	कनकलता शर्मा	9554659447		1	1	
4	उपायुक्त ग्राम पंचायत (मनरग) 9415251214	नकड़ा	सहजनी	सहजनी	प्राथमिक विद्यालय सहजनी 1	सोम सुब्रह्म	8874066181	श्रीमती मन्म देवी	1	2	
			सहजनी	सहजनी	प्राथमिक विद्यालय सहजनी 2	मोता मिथा	6306931375		1	3	
			असोगपुर	असोगपुर	विभागीय भवन असोगपुर	रुवि देवी	8840625732		1	4	
5	उपायुक्त स्वतंत्र पंचायत 9412110045	पूल्बहेड	लीकिया	लीकिया	प्राथमिक लीकिया -2	श्रीमती संदय	8801328833	श्रीमती पूजा विपारी	1	1	
			इमरहिनपुर	इमरहिनपुर	प्राथमिक इमरहिनपुर	श्रीमती सातोषी देवी	9260947529		1	2	
			गुन	गुन	प्राथमिक गुन	श्रीमती पूजा सिंह	7007845041		3	2	
6	परियोजना निदेशक, जि० ग्राम्य विकास अधिकारी 9454465382	पूल्बहेड	श्रीखणपुर	श्रीखणपुर	विभागीय भवन श्रीखणपुर	श्रीमती शशी सुमारी	933805341	श्रीमती पूजा विपारी	1	4	
			अगरखुर्द	बसही	प्राथमिक बसही	श्रीमती कान्ती देवी	9696590662		1	2	
			सुन्दरवल	सुन्दरवल	विभागीय भवन सुन्दरवल-4	श्रीमती उषा देवी	8795849640		1	3	
7	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी 7897825948	लखीमपुर	डिम्नीरा	डिम्नीरा	प्राथमिक विद्यालय डिम्नीरा	किरण	9919377693	सुषी अंजली गुप्ता	3	5	
			चकहाजीपुर	चकहाजीपुर	विभागीय भवन चकहाजीपुर	असोका	9455760715		3	6	
			लगुवा	लगुवा	प्राथमिक लगुवा	रविश	8918974515		2	5	
8	जिला समाज कल्याण अधिकारी 9432349624	लखीमपुर	लगुवा	लगुवा	विभागीय भवन लगुवा पूर्वी	पुष्पा सिंह	8874238475	सुषी अंजली गुप्ता	3	6	
			लगुवा	लगुवा	विभागीय भवन लगुवा पश्चिमी	मनोरमा	9839482341		3	7	
			लगुवा	लगुवा	प्राथमिक विद्यालय लगुवा पश्चिमी	आरती	6306716415		4	8	
9	जिला पंचायत राज अधिकारी	लखीमपुर	ओदरहन	ओदरहन	विभागीय भवन ओदरहन	राणी इन्द्राणी	7408785396	सुषी अंजली गुप्ता	3	7	
			कैमहरा	कैमहरा	प्राथमिक कैमहरा प्रथम	रजनी शर्मा	9198448081		2	5	
			कैमहरा	कैमहरा	प्राथमिक कैमहरा पंचम	रजनी	9198448081		4	7	
10	जिला नर्स अधिकारी	लखीमपुर	रुद्रपुरकला	रुद्रपुरकला	प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुरकला प्रथम	लक्ष्मी सुक्ता	8726367163	सुषी अंजली गुप्ता	2	5	
			रुद्रपुरकला	रुद्रपुरकला	प्राथमिक विद्यालय रुद्रपुरकला द्वितीय	रेनु विवेदी	9889195179		3	7	
			इकनालपुर	इकनालपुर	विभागीय भवन इकनालपुर	पंचम सुमन	9628572774		3	8	

जनपद/उपखंड/सहायक स्तरीय अधिकारियों द्वारा जागणबाड़ी केन्द्र को गोद लेकर आदर्श जागणबाड़ी केन्द्र बनाये जाने हेतु चुनना											
क्र.सं.	जिला स्तरीय अधिकारी का पद नाम व फोन नं०	विभागात्मक केंद्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पीप का नाम	जागणबाड़ी केन्द्र का नाम एवं संघात्मक स्तर का स्तर	जागणबाड़ी कार्यकारी का नाम	जागणबाड़ी कार्यकारी का पदनाम	जागणबाड़ी कार्यकारी का पदनाम	जागणबाड़ी कार्यकारी का पदनाम	जागणबाड़ी कार्यकारी का पदनाम	जागणबाड़ी कार्यकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	जिला शिक्षा व वर्ग कल्याण अधिकारी 8127779160	लखीमपुर	सलेमपुर कोन	सलेमपुर कोन	प्राथमिक सलेमपुर कोन प्रथम	राशिप्रभा	7307642110	पुत्री अंजली गुप्ता	4	8	
				सलेमपुर कोन	प्राथमिक सलेमपुर कोन द्वितीय	अंजुस	8299104853	8318798930	3	7	
				सलेमपुर कोन	प्राथमिक सलेमपुर कोन तृतीय	किरण	9554206201		3	5	
12	जिला युवा कल्याण अधिकारी 9468203562	नरह	रवहा	रवहा	विभागीय भवन रवहा	मनोरमा देवी	8052873901	श्रीमती मन्जू दुहे	1	3	
			बदामपुर	तेबकहा	प्राथमिक तेबकहा	रिता चमो	7355089915	8388243124	1	4	
				बेतापुर	विभागीय भवन बेतापुर	पूज कुमारी	9670128466		1	5	
13	जिला प्रोबेशन अधिकारी 7518024018	नरह	बेतकुई	बेतकुई	प्राथमिक बेतकुई-1	मुन्ना देवी	9919928584	श्रीमती मन्जू दुहे	1	3	
				बेतपुरवा	विभागीय भवन बेतपुरवा	रुक्मिणी देवी	9336209006	8388243124	1	5	
				कोठिया	विभागीय भवन कोठिया	शाजु तिवारी	9839618119		1	5	
14	जिला कार्यक्रम अधिकारी 9454948744	नरह	बान्नीहा	बान्नीहा	विभागीय भवन बान्नीहा	शकुन्ति सिंह	9580301385	श्रीमती मन्जू दुहे	1	5	
				निकटा	प्राथमिक निकटा	रिता	9792827193	8388243124	1	4	
				निजामपुर निकटा	विभागीय भवन निजामपुर निकटा	नामिता चमो	9565384146		1	4	
15	जिला मन्त्र अधिकारी 7061202235		कोषा	कोषा	विभागीय भवन कोषा	नीरम शंभे	8857828815	श्रीमती मन्जू दुहे	1	4	
				बजौरपुरवा	विभागीय भवन बजौरपुरवा	सौरभा देवी	9721781432	8388243124	1	3	
16	जिला वैदिक शिक्षा अधिकारी 9453004178	पुलबहेद	इंद्रगंज	रमनगंज	विभागीय भवन रमनगंज	सुमन तिवारी	8721044890		1	4	
			सल्लहा	सल्लहा	विभागीय भवन सल्लहा	श्रीमती सोया देवी	9565596336	श्रीमती पूजा तिवारी	1	5	
			बाजुडीह	बाजुडीह	विभागीय भवन बाजुडीह-1	श्रीमती मनोरमा श्रीवा	9889612191	8787000806	1	6	
				बाजुडीह	विभागीय भवन बाजुडीह-2	श्रीमती सन्ध्या वर्मा	9721099000		1	1	
17	जिला विद्यालय निरीक्षक 9454457323	पुलबहेद	मकसोहा	मकसोहा	प्राथमिकमकसोहा-1	श्रीमती शशी मिश्रा	8931827073	श्रीमती पूजा तिवारी	1	2	
				मकसोहा	प्राथमिकमकसोहा-2	श्रीमती अर्चना मिश्रा	9335759712	8787000806	1	4	
				मकसोहा	विभागीय भवन मकसोहा	श्रीमती रंजना देवी	9451028011		2	3	
18	राज्य अभियन्ता(आर.ए.ई.ओ.)	लखीमपुर	कोरवा जंगल	कोरवा जंगल	विभागीय भवन कोरवा जंगल	सबनम परवीन	9519528415	पुत्री अंजली गुप्ता	4	8	
			कोरवा जंगल	कोरवा जंगल	विभागीय भवन आठारपुर	श्रीमा देवी	7275099909	8318798930	2	4	
			रुकन्दीपुर	रुकन्दीपुर	प्राथमिक रुकन्दीपुर	राजेरवती चार्ज	7985806053		3	7	
19	महाप्रबन्धक जिला उद्योग 9451200995	बेहजम	खामी ओवल	खामी ओवल	विभागीय भवन खामी ओवल	मन्मथरा मिश्रा	6391706535	श्रीमती उषा देवी	1	2	
			जामनहारपुर	लौनपुरवा	प्राथमिकलौनपुरवा	श्रीमती सुनन सहो चार्ज	6392837834	833091402	2	3	
			इच्छवा ओवल	इच्छवा ओवल	विभागीय भवन इच्छवा ओवल	पुष्पलता चार्ज	9028511962		2	3	
20	सहायक निदेशक मत्स्य 7991336375	बेहजम	रावपुर	डिटीपुरवा	विभागीय भवन डिटीपुर	श्रीमती किरण देवी	9918929434	श्रीमती उषा देवी	2	2	
			विपरीकला	विपरीकला	विभागीय भवन विपरीकला	श्रीमती प्रमिता देवी	8874475981	833091402	2	3	
			सुन्ही	उपन्ना	विभागीय भवन उपन्ना	श्रीमती प्रभा सुक्ता	8303261182		2	3	

जनपद/सहरीय/ग्रामक स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र को पौध लोकर आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र बनाये जाने हेतु पुराना											
क्रमांक	जिला स्तरीय अधिकारी का पद नाम व मोबाईल	विकास खण्ड का नाम	ग्राम संस्था का नाम	पौध का नाम	आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम एवं संस्थान स्तर का पता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पता	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नं०	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम व मोबाइल नं०	दिन व रोज	मैत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	खण्ड विकास अधिकारी बेहजम 7839180991	बेहजम	लकड़ा	लकड़ा	प्राथमिक	श्रीमती अर्चना	9792710378	श्रीमती कृषा देवी 9336091402	2	5	
			परसेहवा कला	परसेहवा कला	विभागीय भवन परसेहवा कला	श्रीमती रानी	9792182291		2	3	
			परसेहवा कला	लटकनिया	विभागीय भवन परसेहवा कला	श्रीमती विद्या रानी	9509009099		2	4	
22	प्रधानी चिकित्सा अधिकारी बेहजम 6415068002	बेहजम	दन्तोरा	दन्तोरा	प्राथमिक	श्रीमती मन्जू देवी	8090625963	श्रीमती कृषा देवी 9336091402	2	3	
			सरैया ओयल	सैदापुर	विभागीय भवन सरैया ओयल	श्रीमती रत्ना देवी	8173048898		3	2	
			सरैया ओयल	सरैया ओयल	विभागीय भवन सरैया ओयल	श्रीमती कमलेश देवी	8382907974		1	4	
23	अधिराती अधिकारी नगर पंचायत ओयल	बेहजम	जामभारकपुर	जामभारकपुर	प्राथमिक	श्रीमती सुपन साहायिका	6392837834	श्रीमती कृषा देवी 9336091402	2	3	
			जामभारकपुर	गरवापुर	जुलैठमरवापुर	श्रीमती लक्ष्मी देवी चार्ज	9792955527		1	2	
			ओयल देहडा	साडी नामा	विभागीय भवन साडी नामा	रजना सिंह	9519795000		2	3	
24	रजु चिकित्सा अधिकारी बेहजम	बेहजम	शकपुर	भदुरा	पंचायत भवन भदुरा	श्रीमती उर्मिला चौधरिया	9984914879	श्रीमती कृषा देवी 9336091402	1	2	
			शकपुर	भदुरा पुरवा	प्राथमिक भदुरा पुरवा	श्रीमती किरन देवी	7408446565		1	2	
			रतसिया	रतसिया	प्राथमिक रतसिया	श्रीमती मिश्रलेश	7704985967		2	2	
25	खण्ड विकास अधिकारी रवियाबेडड	रवियाबेडड	घघरा	घघरा	प्राथमिक घघरा	पूनम शर्मा	9389943748	श्री अमित कुमार वर्मा 9918220056	1	4	
			लखाडी	लखाडी	विभागीय भवन लखाडी-1	किरण सिंह	9984799198		2	5	
			लखाडी	लखाडी	विभागीय भवन लखाडी-2	रमा परवीन	8052900732		2	6	
26	श्रीमती कृषा देवी	लखीपुर शहर	मोठ नईबस्ती	मोठ नईबस्ती	सौंपलसाहनी प्राथमिक नईबस्ती	आशा रानी	9198882935	श्रीमती नामदेवी 9140771620	1	3	
			मोठ नईबस्ती	मोठ नईबस्ती	सौंपलसाहनी प्राथमिक नईबस्ती	तवसुत जहाँ	9006739000		1	2	
			नौरंगाबाद	नौरंगाबाद	प्राथमिक नौरंगाबाद	उषा अवस्थी	9170574931		2	3	


 जिला कार्यपालक अधिकारी
 लखीपुर-1, पं.

03

पर्यवेक्षण प्रारूप

केन्द्र गोद लेने वाले अधिकारी/ मा0 जन प्रतिनिधि का नाम-	
पदनाम-	मोबाईल न0-
जनपद -	परियोजना का नाम -
सेक्टर -	मुख्य सेविका -
आंगनबाड़ी केन्द्र -	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम -
निरीक्षण की तिथि -	

1.	आंगनबाड़ी केन्द्र की आधारभूत संरचना	उपलब्धता (हाँ/नहीं)	
i.	विद्युतीकरण (बाह्य यथा-विद्युत कनेक्शन)		
ii.	विद्युतीकरण (आंतरिक यथा - वायरिंग, बोर्ड, पंखा, टियूब/बल्ब आदि)		
iii.	क्रियाशील शौचालय		
iv.	स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था		
v.	पोषण वाटिका		
2.	आंगनबाड़ी केन्द्र संसाधन		
i.	क्रियाशील स्मार्ट फोन (विभाग द्वारा दिया गया)		
ii.	क्रियाशील ग्रोथ मानिटरिंग डिवाइसेस (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, इन्फेंट वेईंग स्केल तथा मदर कम चाइल्ड वेईंग स्केल)		
iii.	प्री स्कूल (यथा- खिलौने, पजल, ब्लॉक, आदि)	विगत निरीक्षण	वर्तमान निरीक्षण
iv.	ई0सी0सी0ई सामग्री (यथा- कहानी किताबें, गतिविधि पुस्तिका, पहल, कलेण्डर आदि)		
3.	आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत लाभार्थी विवरण (पंजीकृत संख्या)		
i.	06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चें		
ii.	03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चें		
iii.	गर्भवती महिलाएं		
iv.	धात्री महिलाएं		
v.	सैम (SAM) बच्चें		

निरीक्षण के समीक्षा बिन्दु

1-	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की स्थिति (टिप्पणी) - श्रेणी (संतोषजनक/मरम्मत योग्य)	
2-	अनुपूरक पोषाहार नियमित रूप से वितरित किया जा रहा है ? (कम से कम एक गर्भवती तथा 0-3 वर्ष के लाभार्थी के परिवार से पुष्टि)	
3-	पिछले माह कितने बच्चों का वजन लिया गया (सूचना को सत्यापित करने का कोई स्रोत- रजिस्टर, पोषण ट्रैकर)	
4-	पिछले माह कितनों की उंचाई/लम्बाई ली गई (सूचना को सत्यापित करने का कोई स्रोत- रजिस्टर, पोषण ट्रैकर)	

9

5-	एन0आर0सी0 सन्दर्भन (सी0एच0सी0/एन0आर0सी0) कुल सैम बच्चों के आधार पर	
6-	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कुल कितने घरों में पिछले माह गृह भ्रमण किया गया (किसी एक सैम (SAM) अथवा मैम (MAM) बच्चे के परिवार से जानकारी के आधार पर)	
7-	पिछले माह 3-6 वर्ष के बच्चों के अभिभवकों के साथ पी0टी0एम का आयोजन किया? (अभिभवक से मीटिंग के वार्ता बिन्दु के बारे में जानकारी लें)	
8-	ई.सी.सी.ई. गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है (03-06 वर्ष के बच्चों से जानकारी के आधार पर)	
9-	आंगनवाड़ी केन्द्र का नियमित संचालन (निर्धारित दिवस तथा नियत समय पर) किया जा रहा है?	
10-	पोषण ट्रैकर पर फीडिंग की स्थिति (अनुपूरक पुष्टाहार, वृद्धि निगरानी ग्रह भ्रमण, आदि)	
11-	सी.एस.आर./ मिनिरल फण्ड/कायाकल्प एवं अन्य स्रोतो से आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध संसाधनों का विवरण (यदि हो तो) -	

(रिपोर्ट कार्ड)

क्रम सं०	मानक	प्राप्तांक	अधिकतम अंक
1	आंगनवाड़ी केन्द्र आधारभूत संरचना एवं संसाधन (30 अंक)		
I.	विद्युतीकरण (बाह्य विद्युतीकरण-05 अंक तथा आन्तरित विद्युतिकरण-05 अंक)		10
II.	पेयजल (10 अंक)		10
III.	शौचालय (10 अंक)		10
2	लामार्थियों पोषण सेवाएं एवं स्थिति (30 अंक)		
I.	गत निरीक्षण के सापेक्ष तत्वों के पोषण स्तर में सुधार (वृद्धि निगरानी के आधार पर - 10 अंक)		10
II.	अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण (10 अंक)		10
III.	समुदाय आधारित गतिविधियों का गुणवत्तापरक आयोजन (10 अंक)		10
3	ई.सी.सी.ई. (30 अंक)		
I.	ई0सी0सी0ई0 गतिविधियों का नियमित आयोजन (10 अंक)		10
II.	पी0टी0एम0 (10 अंक)		10
III.	प्री-स्कूल किट तथा ई.सी.सी.ई. सामग्री की उपलब्धता (10 अंक)		10
4	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की कार्य-दक्षता (10 अंक)		10
5	कुल प्राप्तांक		100

अतिरिक्त टिप्पणी-

दिनोंक

(निरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर)

- 80 अंक से अधिक पर आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र,
- 40 से 80 अंक के मध्य पर संतोषजनक ,
- 40 से कम अंक पर सुधार योग्य



प्रेषक

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सी-212/बा०वि०परि०/ई०सी०सी०ई०/2022-23 दिनांक : 03 जून, 2022

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समुचित पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षण के लिए विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं संदर्भन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गुणवत्तापरक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-3937/58-1-2021 दिनांक 06.12.2021/06.01.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शासनादेश में "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नवत् प्राविधान निर्धारित किये गये हैं :-

- (1) आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा अपने नेतृत्व व देख-रेख में निर्धारित मानकों की पूर्ति कराते हुए आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित किये जायेंगे।
- (2) जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पोषण समिति की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आहूत जिला पोषण समिति की बैठक में जनपद के समस्त गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की जायेगी।
- (3) जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की पर्यवेक्षण आख्या संकलित कर समीक्षा हेतु जिला पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) प्राप्त पर्यवेक्षण आख्या के आधार पर अध्यक्ष, जिला पोषण समिति/जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के समन्वित प्रयास से आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित कराया जायेगा।
- (5) जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह शासन एवं राज्य पोषण मिशन/निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए मा० जन-प्रतिनिधिगण तथा अधिकारीगण हेतु निरीक्षण प्रारूप तथा निरीक्षण प्रारूप के आधार पर जनपद स्तर पर समीक्षा प्रारूप निदेशालय पत्र संख्या-सी-212/बा०वि०परि०/ई०सी०सी०ई०/2022-23 दिनांक 27.05.2022 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र एवं प्रारूपों की छायाप्रति संलग्न है।

359
3-6-22

Jup.

DPO
3-6-22

3-6-22

यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-1117/58-1-2022-54-2099/52/2021 दिनांक 10.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 हेतु आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" योजना के क्रियान्वयन की तिथि दिनांक 01.04.2022 निर्धारित करते हुए योजना की प्रथम छमाही अवधि दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 एवं द्वितीय छमाही अवधि दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2022 निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त के दृष्टिगत गोद लिये जाने आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन कर उसे "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" बनाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 विभा चहल)
अपर निदेशक (प्रशासन)।

पृष्ठांकन संख्या : _____ / तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
- 2- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोषण मिशन, उ0प्र0।
- 4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने तथा जनपद की संकलित प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक निदेशालय में हार्डकापी तथा ई-मेल icdsecce2021@gmail.com के माध्यम से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 विभा चहल)
अपर निदेशक (प्रशासन)।

संख्या-3937/58-1-2021

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोषण मिशन
उत्तर प्रदेश।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग

लखनऊ: दिनांक ०६ दिसम्बर, 2021

विषय: आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" बनाने के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा स्कूल पूर्व शिक्षा सेवाएं समुदाय में प्रदान किये जाने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्र एक महत्वपूर्ण इकाई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समुचित पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा एवं संदर्भन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण, गृह भ्रमण, पोषण सम्बन्धी परामर्श के साथ-साथ बच्चों की वृद्धि निगरानी सम्बन्धी गतिविधियां की जाती हैं।

गर्भधारण से लेकर जीवन के पहले दो वर्ष तक की अवधि अर्थात् जीवन के पहले 1000 दिवस पोषण की दृष्टि से बच्चों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के 90 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास जन्म से 02 वर्ष तक तेजी से होता है। आंगनवाड़ी केन्द्र न सिर्फ पोषण एवं स्वास्थ्य का केन्द्र हैं, बल्कि 03-06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ई०सी०सी०ई० के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किये जाने का स्थल है। बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्तर की वृद्धि में आंगनवाड़ी केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों को "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। कुपोषण की अधिकता वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को चिन्हित कर जनपदों में मातृनीय जन-प्रतिनिधिगण यथा मा० सांतद/विधायक/महापौर/अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लेकर "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किया जायेगा। इस योजना का प्रारम्भ दिनांक 10 जनवरी, 2022 से किया जायेगा।

1. योजना का उद्देश्य

- आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को कुपोषण मुक्त करना।
 - आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 03-06 वर्ष के बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा (ई.सी.सी.ई) के स्तर में सुधार।
 - आंगनवाड़ी केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढीकरण।
2. आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लेने की प्रक्रिया

I/129915/2022

फीडबैक।

III. आधारभूत सुविधाओं विषयक-

- स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।
- बाल-मैत्री शौचालय की उपलब्धता।
- आंगनबाड़ी केन्द्र का विद्युतीकरण।
- पोषण बाटिका
- आंगनबाड़ी केन्द्र की रंगाई व पुताई।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन की भौतिक स्थिति।
- ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइस की उपलब्धता
- स्मार्ट फोन की उपलब्धता
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी-मेज व अन्य आवश्यक सामग्री।

4. जनपद स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही

- "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" बनाने से सम्बन्धित उक्त गतिविधियों और अनुश्रवण के मानकों के आधार पर माननीय जन-प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को विभागीय योजनाओं सम्बन्धी सुलभ सामग्री उपलब्ध कराते हुए अभिमुखीकरण किया जायेगा।
- गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्र के भ्रमण के समय सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, ए.एन.एम., अध्यापक, पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहेंगे।
- आंगनबाड़ी केन्द्र को "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित करने हेतु वी.एच.एस.एन.सी. के अन-टाईड फण्ड, कायाकल्प तथा जी.पी.डी.पी. का प्रयोग करते हुए आधारभूत संरचना/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत यथा- सी.एस.आर./मिनरल फण्ड व अन्य से भी आंगनबाड़ी केन्द्र को विकसित किया जा सकता है।
- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं अन्य विभागों की संचालित योजनाओं के कन्वर्जेंस से समेकित प्रयास करते हुए आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित किये जायेंगे। इसके लिये कोई अतिरिक्त बजट का प्राविधान नहीं है।

5. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षणिय दायित्व

- आंगनबाड़ी केन्द्र को गोद लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा अपने नेतृत्व व देख-रेख में उपरोक्त मानकों की पूर्ति कराते हुए आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र विकसित किये जायेंगे।
- जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पोषण समिति की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आहत जिला पोषण समिति की बैठक में जनपद के समस्त गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की जायेगी।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह गोद लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों की पर्यवेक्षण आख्या संकलित कर समीक्षा हेतु जिला पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
- प्राप्त पर्यवेक्षण आख्या के आधार पर अध्यक्ष, जिला पोषण समिति/जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के समन्वित प्रयास से "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" विकसित कराया जायेगा।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह शासन एवं राज्य पोषण मिशन/निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जायेगी।

6. आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने की समयावधि

गोद लिये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों को "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" के रूप में विकसित किए जाने के लिये छः माह की समयावधि निर्धारित है।

7. "आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र" की घोषणा

- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परियोजना/केन्द्रवार सैम एवं मैम (SAM & MAM) वक्चों की सूची अबरोही क्रम में तैयार कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पोषण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।
- आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लिये जाने हेतु परियोजनाओं में सैम/मैम वक्चों की अधिक संख्या वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- जनपद में गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची माननीय मा0 सांसद/विधायक महापौर/अध्यक्ष, जिला पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनसे विचार-विमर्श कर उनकी स्वेच्छा से गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र चिन्हित किये जायेंगे।
- तत्पश्चात् जनपद स्तरीय अधिकारियों को गोद लिये जाने वाले शेष आंगनवाड़ी केन्द्र आवंटित किये जायेंगे।
- प्रत्येक माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा 03 आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिया जायेगा।

3. पर्यवेक्षण विन्दु -

"आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" हेतु गोद लेने वाले मा0 जन-प्रतिनिधिगण तथा जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह सभी गोद लिये आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्वतीय घ्रमण करते हुये निम्नलिखित मुख्य विन्दुओं पर पर्यवेक्षण किया जायेगा -

I. पोषण विषयक

- आंगनवाड़ी केन्द्र के नियमित खुलने एवं बन्द होने की स्थिति।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर लाभार्थियों के सर्वे के अनुसार पोषण ट्रेकर ऐप पर शत-प्रतिशत पंजीकरण की स्थिति।
- प्रत्येक लाभार्थी वर्ग 06 माह-06 वर्ष के वक्चें, अतिकुपोषित वक्चों, गर्भवती/घात्री महिलाओं एवं 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को निर्धारित मात्रा में नियमित रूप से अनुपूरक पोषाहार के वितरण की स्थिति।
- पोषण ट्रेकर ऐप पर निम्न मानकों पर नियमित कीडिंग

- अनुपूरक पुष्पाहार का वितरण
- वृद्धि निगरानी
- गृह ध्रमण
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर समुदाय आधारित गतिविधियां यथा-गोदभराई, अन्नप्राशन, सुपोषण दिवस, बजन दिवस, वांश डे के नियमित आयोजन की स्थिति।
- वक्चों के पोषण श्रेणी में सुधार (सैम से मैम तथा मैम से सामान्य श्रेणी) की स्थिति।

II. स्कूल पूर्व शिक्षा विषयक-

- प्री-स्कूल किट की उपलब्धता एवं रख-रखाव।
- ई.सी.सी.ई. सामग्री की उपलब्धता एवं रख-रखाव।
- 03 से 06 वर्ष के वक्चों हेतु ई.सी.सी.ई. विषयक निर्धारित साप्ताहिक गतिविधियों एवं विभाग द्वारा विकसित बू-ट्यूब चैनल पर उपलब्ध वीडियो अनुसार गतिविधियों का आयोजन।
- वक्चों से वार्तालाप कर रंग, आकार, फल-सब्जियों आदि की पहचान जैसे अनौपचारिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- 03 से 06 वर्ष तक के वक्चों के अभिभावक तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (पी.टी.एम.) के बैठक आयोजन की स्थिति।
- वक्चों के अभिभावकों से आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन तथा आयोजित ई.सी.सी.ई. गतिविधियों पर

गोद लिये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों को निर्धारित अवधि में उक्त मानकों की पूर्ति होने पर जिला पोषण समिति द्वारा "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" घोषित किया जायेगा एवं तद्विषयक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए गोद लिये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों का चयन कर उसे "आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र" बनाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by अनिता सी०
मेथाम

(अनीता सी० मेथाम) 16:35:42
Reason: Approved
प्रमुख सचिव।

संख्या-3937(1)/58-1-2021 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, नगर विकास, कृषि, उद्यान, वैसिक शिक्षा, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य, आयुष, ऊर्जा, जल संसाधन, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य प्रतिनिधि, समस्त विकासशील संस्थाएं।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता सी. मेथाम)
प्रमुख सचिव।